



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25.11.2023

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 25.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिला/बालिकाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला/बालिकाओं से अपराध संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त/अभियुक्ता रजनी, दीपक, राज्जो को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 02.07.2023 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिला से दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर हत्या करने के सम्बन्ध में मृतका के परिजनों द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राकेश पुत्र मिठुन निवासी ग्राम घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त:-

1. मु0अ0स0 257/23 धारा 498ए/304बी/323 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0का0 कपिल मलिक थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. का0 विपिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 20,000/-

रुपये) बरामद:-

आज दिनांक 25.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-नीरज पुत्र महेशचन्द्र जैन निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0स0 588/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 147/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 12 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 20,000/- रुपये)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4.है0का0 कुलदीप सिंह थाना कांधला जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद:-

आज दिनांक 25.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.11.2023 को कांधला क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लिसाढ़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा अपनी मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि0 नम्बर UP19D7460 को अज्ञात चोर द्वारा कांधला बस स्टैंड से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सागर पुत्र बारू निवासी ग्राम फलौदा थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि0 नम्बर UP19D7460

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 575/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2. मु0अ0स0 269/2022 धारा 414/420/465 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0स0 260/2022 धारा 379/411/465 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
2. है0का0 प्रताप शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

